

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या
18/2021

रजू दिनांक
01.02.2021

निर्णय दिनांक
01.02.2021

उनवान

1. मन्दिर मूर्ति ठाकूरजी भगवान श्री सत्यनारयण श्री महाराज सदैव नाबालिंग विराजमान ग्राम चिरुणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज, जरिये पुरजारी एवं सरक्षक गंगांरा पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चिरुणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०।

वादियागण

बनाम

1. तहसीलदार मुण्डावर बैहसियत लैण्ड हौल्डर एवं भू अभिलेख अधिकारी मुण्डावर।
2. बालकिशन पुत्र श्री जगदीश जाति ब्राह्मण
3. सुरेन्द्र पुत्र स्व० श्री जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी चिरुणी तहसील मुण्डावर
4. सोमदत्त पुत्र घीसाराम जाति ब्राह्मण - फौत
- 4/1 मेवादेवी पत्नी स्व० श्री सोमदत्त जाति ब्राह्मण निवासी चिरुणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०।
5. हरिराम पुत्र घीसाराम जाति ब्राह्मण - फौत
- 5/1 बिमला देवी पत्नी स्व० श्री हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी चिरुणी तहसील मुण्डावर
6. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण
7. नरेश पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण
8. अशोक पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण
9. राजेश पुत्र गंगाराम जाति ब्राह्मण निवासीयान चिरुणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०।

प्रतिवादी

दावा ईशतकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज अधिनियम

:- पर्चा डिक्री :-

दिनांक :- 01.02.2021

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री अशोक चौधरी व प्रतिवादी की ओर से श्री गंगाराम पटेल में इस वाद में आज तारीख 01.02.2021 को रामसिंह राजावत उपखण्ड

२५३—
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०



अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ 'प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं राजीनामे दिनांक 22.09.2020 के आधार पर खसरा नम्बर 712, 713, 714, 715, 717, 718 में रामदेवा पुत्र श्योलाल हिस्सा 14/41 मंदिर मूर्ति श्री ठाकूरजी भगवान के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार मुण्डावर को दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

ॐ ५ ६ ०१.२.२१
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०